राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 206/2012

श्रीमती राजकुमारी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2012
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाड़ी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.1993 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सेवा में बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 17.06.1992 को हुई थी। अपीलार्थी ने संतोषजनक सेवायें दी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.04.1993 से सेवायें समाप्त कर दी गईं और आदेश दिनांक 27.02.1993 जो अपीलार्थी के स्थायी पते पर भेज दिया गया और इस प्रकार से अपीलार्थी को अचानक ही नियम विरूद्ध तरीके से बर्खास्त किया जाना विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में वाद संख्या 124/1993 सिविल जज (जेडी) अनूपगढ़, श्रीगंगानगर प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 31.05.2003 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त वाद को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में प्रस्तुत करना चाहिये। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने मामले के जवाब में यह कथन किया कि अपीलार्थी दिनांक 03.07.1992 से ड्यूटी पर नहीं आयी और जिसके कारण

अपीलार्थी की असंतोषजनक सेवायें होने के कारण उसे दिनांक 02.04.1993 से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 31.05.2003 को अतिरिक्त जिला जज अनूपगढ, श्रीगंगानगर अपील संख्या 09/2003 अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 17.12.2011 के द्वारा खारिज कर दी गई, उसमें भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 03.07.1992 के बाद कार्यग्रहण नहीं किया। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को नियमित वेतन दिया गया और अवकाश स्वीकृत का वेतन भी भुगतान किया गया, जो सैलेरी शीट से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा आदेश दिनांक 23.12.1992 जारी किया गया, जिसमें दूसरी कार्मिक को अवकाश पर होने के कारण अपीलार्थी को कार्यभार दिया गया है, जो अनुलग्नक–7 से प्रकट होता है। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 के पत्र दिनांक 23.12.1992 एवं 02.01.1993 के द्वारा श्रीमती अंजुलता एवं श्रीमती जसविन्दर कौर को असंतोषजनक कार्य होने के आधार पर निलंबित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 04.11.2011 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा कोई उचित निर्णय लिया गया, परंतु अपीलार्थी को बिना किसी कारण के नियम विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश जारी कर अपीलार्थी को बर्खास्त किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.1993 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सेवा में बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 17.06.1992 के द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 26.06.1992 को परियोजना अनूपगढ़ में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी परिवीक्षाणीन प्रशिक्षणार्थी दिनांक 03.07.1992 को एक दिन का अवकाश लेकर बीकानेर गई और उसके बाद दिनांक 31.07.1992 तक न तो कार्यालय में उपस्थित हुई और न ही अवकाश हेतु आवेदन किया, जिसके संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 30.07.1992 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 27.02.1993 से उसकी सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 23क (1)(क)(ख) के अंतर्गत दिनांक 02.04.1993 से अपीलार्थी की सेवायें समाप्त कर दी गईं, जो नियमानुसार एवं विधि

के अंतर्गत है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद संख्या 124/1993 माननीय सिविल न्यायालय अनूपगढ़ प्रस्तुत किया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त मामले को जिला न्यायाधीश अनूपगढ में दर्ज किया, जिसे दिनांक 17.12.2011 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 17.06.1992 को हुई थी। अपीलार्थी की संतोषजनक सेवायें होते हुए भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.04.1993 से सेवायें समाप्त कर दी गईं। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में वाद संख्या 124/1993 सिविल जज (जेडी) अनूपगढ़, श्रीगंगानगर प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 31.05.2003 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त वाद को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में प्रस्तुत करना चाहिये। तदुपरान्त आदेश दिनांक 31.05.2003 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला जज अनूपगढ, श्रीगंगानगर अपील संख्या 09/2003 अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 17.12.2011 के द्वारा खारिज कर दी गई। अपीलार्थी को नियमित वेतन दिया गया और अवकाश स्वीकृत का वेतन भी भुगतान किया गया, जो सैलेरी शीट से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा आदेश दिनांक 23.12.1992 जारी किया गया, जिसमें दूसरी कार्मिक को अवकाश पर होने के कारण अपीलार्थी को कार्यभार दिया गया है, जो अनुलग्नक–7 से प्रकट होता है। अपीलार्थी को बिना किसी कारण के नियम विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश जारी कर अपीलार्थी को बर्खास्त किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–18 वाद संख्या 45/1995 जिसमें श्री जोगेन्द्र सिंह जो प्रभारी अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह बयान किया गया कि *''दिनांक 30.07.1992 को दिए गए पत्र के अलावा अन्य से स्पष्टीकरण व आरोप पत्र वादिया को नहीं दिया गया था। दिनांक 30.07.1992 को जारी पत्र की कॉपी वादिया को दी थी। वर्ष 1992–93 में राजकुमारी नामक दो महिलाएं इस विभाग में कार्यरत थी। यह कहना सही है कि वादिया की केवल मात्र बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने के कारण पद मुक्त किया गया था। मुताबिक रिकार्ड वादिया का कार्य असंतोषजनक रहा है, ऐसा आक्षेप वादिया पर नहीं है। यह कहना सही है कि पद मुक्ति की तमाम कार्यवाही जयपुर मुख्यालय द्वारा ही की गई*

है/'' प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण सेवा नियम 23क(1)(क)(ख) के अंतर्गत सेवायें समाप्त कर दी गईं क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि विभाग द्वारा पूर्व में अपीलार्थी को नोटिस, हिदायत आदि उसकी असंतोषजनक सेवाओं के संबंध में उसके विरूद्ध जारी की गई हों और इस प्रकार विभाग के प्रभारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अनुपस्थिति/असंतोषजनक सेवाओं के संबंध में नोटिस आदि नहीं दिये जाने और न ही पत्रावली पर कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध होने के आधार पर अपीलार्थी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जाना नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.1993 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं के संबंध में उचित निर्णय लेते हुये नियमानुसार उसे सेवा लाभ आदि प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य